न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 115/2024 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 श्री लीलाराम पुत्र श्री टहलराम सिंधी नि0 सिंधुनगर, भीलवाडा जिला भीलवाडा।

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 (ए)

उपस्थित :::– **प्रार्थी मय अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र अहीर**

पेरोकार सरकार....................विपक्षी क्रम 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक 08.08.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 24.07.2020 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियाज सरहद आराजियात सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 3681, 4132/3680 4235/3686, 4427/3680 कुल किता 04 रकबा 0.7713 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। जिसकी जमाबदी मय नक्शा ट्रेस हमराह प्रार्थनापत्र साथ मे पेश है। यह कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर आने जाने का एकमात्र रास्ता मंगरोप–हमीरगढ़ रोड़ आराजी नम्बर 3676 से होते हुए विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 3677 रकबा 0.3035 से होकर रास्ता गाडी गडार जो करीब 25 फीट चौडा है, जिसे लाल स्याही से दर्शा रखा है, से होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी पर आता जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। यह है कि प्रार्थी की उक्त आराजियात मे

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है व लेकिन आराजी नम्बर 3677 जो कि बिलानाम दर्ज होने व रास्ते के रूप मे दर्ज नही होने से प्रभावशाली लोगो द्वारा कब्जा कर रास्ते को बंद करने की कोशिश की जा रही है। श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा– 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 3681, 4132/3680 4235/3686, 4427/3680 कुल किता 04 रकबा 0.7713 हैक्टयर पर आने जाने का एकमात्र रास्ता मंगरोप हमीरगढ़ रोड़ आराजी नम्बर 3676 से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 3677 से होकर रास्ता गाडी गडार जो करीब 25 फीट चौडा है, से होकर अपनी आराजी मे आता जाता है, जहां करीब 25 फीट चौडा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत प्रा0पत्र न्यायालय में दिनांक 24–07–2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजय जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया विपक्षी की तरफ से प्रार्थी के प्रा0पत्र मे किसी प्रकार से जवाब अथवा प्रति शपथ–पत्र प्रस्तुत नही हुआ। तत्पश्चात स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ को प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में स्थल निरीक्षण करा मोके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2021/99 दिनांक 08.08.2024 से भू0अ0नि हमीरगढ एवं हल्का पटवारी हमीरगढ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एवं मोका पर्चा तथा राजस्व नक्शे की प्रति व नजरी नक्शे की प्रति तैयार कर उसमें प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में खसरा नम्बर 3677 में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से रोशन करते हुये अपना प्रतिवेदन भिजवाया तहसीलदार की ओर से मोका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी अधिवक्ता की दिनांक 08.08.2024 को बहस सूनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 554 में अंकित आराजी खसरा संख्या 3681, 4132/3680, 4235/3686, 4427/3680 किता 04 कुल रकबा 0.7713है. पर आने जाने का एकमात्र रास्ता मंगरोप–हमीरगढ रोड आराजी नम्बर 3676 से हाकर विपक्षी आराजी नम्बर 3677 जो सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

उक्त आराजी भू–भाग में प्रार्थी को आवागमन के लिए रास्ते हेतु भूमि देने में तहसीलदार हमीरगढ ने कोई आपत्ति नही होना अपने पत्र में उल्लेखित किया है। राजकीय बिलानाम भूमि में भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में एक परिपत्र जारी कर यह आदेश पारित किया की किसी भी खातेदार को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु राजकीय बिलानाम भूमि में से रास्ते हेतु भूमि दी जा सकती है। तथा रास्ते के उपयोग के लिए दी जाने वाले भूमि का प्रतिकर स्वरूप राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदार को डी.एल.सी दर की राशि से दुगुनी राशि का भुगतान करना होगा। चुकी प्रार्थी रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए प्रतिकर स्वरूप भुगतान करने में सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य ठहराया जाता है। अतएव

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम हमीरगढ पटवार मण्डल हमीरगढ I भू0अ0नि0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा में स्थित 3681, 4132/3680, 4235/3686, 4427/3680 किता 04 कुल रकबा 0.7713 है0 में आवागमन हेतु 20 फीट चोडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ते की भूमि का कुल क्षेत्र तहसीलदार हमीरगढ की रिपोर्ट के अनुसार बिलानाम आराजी संख्या 3677 रकबा 0.3035 में से 0.0444 हैक्टे. (74 गुणा 6 वर्गमीटर), भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 (आराजी संख्या 3677 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी की दुगुनी राशि राज्य कोष में (आराजी संख्या 3677 के वर्तमान खातेदार) रकबा 0.0444 हैक्टेयर मालियत राशि की दुगुनी राशि कुल 1,22,234/–रूपये अदायगी कर दी जावेगी/जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा